मध्य प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 23/1

क्रमांक एफ 1-52/2019/38/1 :: राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित निम्न उम्मीदवारों को मराठी विषय के लिए सहायक प्राध्यापक के पद पर प्रारम्भिक वेतन रू. 57,700/- अकादमिक स्तर 10 में उनके नाम के समक्ष अंकित महाविद्यालय में आगामी आदेश तक पदस्थापना अस्थाई रूप से उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है :-

क्रं.	लो.से.आ. की चयन सूची का क्रमांक/ चयन सूची का वर्ष	नाम एवं वर्तमान पता	महाविद्यालय, जहां आगामी तक पदस्थ किया जाता है
1	1/2019	ज्ञानेश्वर अशोक तिखे, (Dnyaneshwar) मु.पो.शिंगी तहसील गंगापूर जिला औरंगाबाद पीन कोड431109	श्री अटल बिहारी वाजपेयी श कला एवं वाणिज्य महावि इंदौर, Dist.- इंदौर
2	2/2019	बाळू मोहन तिखे, मू पोस्ट शिंगी तहसील गंगापूर जि औरंगाबाद राज्य महाराष्ट्र पिन कोड ४३११०९	श्री अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महावि इंदौर, Dist.- इंदौर
3	3/2019	योगेश जनार्दन शेलके, मु.पो.नागापुर.तहशील.नांदगाव.जिला.नाशिक	श्री अटल बिहारी वाजपेयी कला एवं वाणिज्य महावि इंदौर, Dist.- इंदौर
4	4/2019	डॉ संगीता सोमवंशी, A 303 बिड कॉलनी नेपानगर जिला बुरहानपुर	शासकीय कमला राजे स्नातकोत्तर महाविद्यालय Dist.- ग्वालियर

2. मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम-1990 के नियम-22 के अनुसार ये पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगी।

3. यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहे है, यदि चरित्र सत्यापन की नियुक्त उम्मीदवार शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाये जाते हैं तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव की जावेगी।

4. उपर्युक्त नियुक्ति मेडीकल बोर्ड से उपयुक्तता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रत्याशा में की जाती है बोर्ड द्वारा अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेंगी।

5. अस्थायी नियुक्ति के दौरान यह सेवा किसी भी समय एक पक्ष द्वारा एक माह के नोटिस या उसके एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।

6. नियुक्ति आदेश के अनुसार पदभार ग्रहण करने पर नियुक्त किए गए सभी उम्मीदवार राज्य शासन होंगे तथा ये राज्य-शासन द्वारा शासकीय सेवकों के संबंध में जारी तथा उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत के उक्त पद पर एवं श्रेणी पर लागू सभी अधिनियम, नियम, आदेश एवं परिपत्र से शासित होंगे पालन करना इनके लिए अनिवार्य होगा। विशेषतः नियुक्त उम्मीदवारों की सेवाएँ मध्यप्रदेश शैक्षणिक (महाविद्यालयीन शाखा) भर्ती नियम-1990, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की शर्तें) नियम मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 एवं इन नियमों के संशोधनों के अध्यधीन होंगी।

शास कला वाणिज्य महा. वि., ...
आवक क्रमांक 1755
Date 18/2/2022

Scanned with CamScanner